




सत्यमेव जयते

भारत सरकार

**भारत
का
विधि
आयोग**



**असुधार्य विवाह भंग - विवाह विच्छेद के लिए¹
एक और आधार**

रिपोर्ट सं. 217

मार्च, 2009



भारत का विधि आयोग

(रिपोर्ट सं. 217)

असुधार्य विवाह भंग - विवाह विच्छेद के लिए एक
और आधार

केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री, विधि और न्याय मंत्रालय,
भारत सरकार को डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन्, अध्यक्ष,
भारत का विधि आयोग द्वारा 30 मार्च, 2009 को प्रस्तुत ।

18वें विधि आयोग का 1 सितंबर, 2006 से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए तारीख 16 अक्टूबर, 2006 के आदेश सं. ए-45012/1/2006-प्रशा. III (वि.का.) द्वारा गठन किया गया था।

विधि आयोग अध्यक्ष, सदस्य-सचिव, एक पूर्णकालिक सदस्य और 7 अंशकालिक सदस्यों से मिलकर बना है।

अध्यक्ष

माननीय डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन्

सदस्य-सचिव

डा. ब्रह्म ए. अग्रवाल

पूर्णकालिक सदस्य

प्रो. डा. ताहिर महमूद

अंशकालिक सदस्य

डा. (श्रीमती) देविन्दर कुमारी रहेजा

डा. के. एन. चंद्रशेखरन पिल्लौ

प्रो. (श्रीमती) लक्ष्मी जमभोलकर

श्रीमती कीर्ति सिंह

श्री न्यायमूर्ति आई. वेंकटनारायण

श्री ओ. पी. शर्मा

डा. (श्रीमती) श्यामल्हा पप्पू

विधि आयोग भारतीय विधि संस्थान भवन,
दूसरी मंजिल, भगवान दास रोड,
नई दिल्ली - 110 001 में अवस्थित है

विधि आयोग कर्मचारिवृंद

सदस्य - सचिव

डा. ब्रह्म ए. अग्रवाल

अनुसंधान कर्मचारिवृंद

श्री सुशील कुमार	:	संयुक्त सचिव एवं विधि अधिकारी
श्रीमती पवन शर्मा	:	अपर विधि अधिकारी
श्री जे. टी. सुलक्षण राव	:	अपर विधि अधिकारी
श्री ए. के. उपाध्याय	:	उप विधि अधिकारी
डा. वी. के. सिंह	:	सहायक विधि सलाहकार
डा. आर. एस. श्रीनेत	:	अधीक्षक (विधिक)

प्रशासनिक कर्मचारिवृंद

श्री सुशील कुमार	:	संयुक्त सचिव एवं विधि अधिकारी
श्री डी. चौधरी	:	अवर सचिव
श्री एस. के. बसु	:	अनुभाग अधिकारी
श्रीमती रजनी शर्मा	:	सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी

इस रिपोर्ट का पाठ इंटरनेट पर <http://www.lawcommissionofindia.nic.in>
पर उपलब्ध है

© भारत सरकार
भारत का विधि आयोग

इस दस्तावेज का पाठ (सरकारी चिह्नों को छोड़कर) किसी रूप विधान में या किसी माध्यम से निःशुल्क प्रत्युत्पादित किया जा सकता है परंतु यह कि उसको शुद्ध रूप से प्रत्युत्पादित किया जाए और उसका भ्रामक संदर्भ में उपयोग न किया जाए। इस सामग्री को सरकार के प्रतिलिप्यधिकार के रूप में अभिस्वीकार किया जाना चाहिए और दस्तावेज का नाम विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

इस रिपोर्ट से संबंधित किसी पूछताछ के लिए सदस्य-सचिव को डाक द्वारा भारत का विधि आयोग, दूसरी मंजिल, भारतीय विधि संस्थान भवन, भगवान दास रोड, नई दिल्ली- 110 001, भारत के पते पर पत्र भेजकर या ई-मेल द्वारा : lic-dla@nic.in पर संबोधित किया जाना चाहिए।

डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन्
(भूतपूर्व न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय)
अध्यक्ष, भारत का विधि आयोग

भा. वि. सं. भवन (दूसरा तल),
भगवान दास रोड,
नई दिल्ली-110001
टेली. : 91-11-23384475
फैक्स : 91-11-23383564

अ.शा.पत्र सं. 6(3)155/2009-वि.आ.(वि.अ.)

30 मार्च, 2009

प्रिय डा. भारद्वाज जी

विषय : असुधार्य विवाह भंग - विवाह-विच्छेद के लिए एक और आधार।

मैं उपर्युक्त विषय पर भारत के विधि आयोग की 217वीं रिपोर्ट इसके साथ अग्रेषित कर रहा हूँ।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 विवाह विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत करने के लिए आधारों का उपबंध करती है। समान रूप से विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 27 उस अधिनियम के अधीन अनुष्ठापित किए गए किसी विवाह की दशा में विवाह-विच्छेद की मंजूरी के लिए आधारों का उपबंध करती है। तथापि उक्त अधिनियम विवाह-विच्छेद के लिए आधार के रूप में 'असुधार्य विवाह भंग' का उपबंध नहीं करते हैं। भारत के विधि आयोग ने अपनी 'हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 - विवाह विच्छेद के लिए आधार के रूप में अपरिहार्य विच्छिन्न-विवाह' नामक अपनी 71वीं रिपोर्ट में हिंदुओं के बीच विवाह विच्छेद मंजूर करने के लिए असुधार्य विवाह भंग को एक नया आधार बनाने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम में सुधारों की सिफारिश की थी। हाल में उच्चतम न्यायालय ने भी नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली (ए. आई. आर. 2006 एस.सी. 1675) में भारत संघ से विवाह-विच्छेद की मंजूरी के लिए आधार के रूप में असुधार्य विवाह भंग को सम्मिलित करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में सुधार लाने पर गंभीर रूप से विचार करने के लिए सिफारिश की है।

निवास : संख्या 1, जनपथ, नई दिल्ली 110001. टेलीफोन नं. : 91-11-23019465, 23793488, 23792745
ई-मेल : ch.lc@sb.nic.in

उपर्युक्त की दृष्टि से भारत के विधि आयोग ने स्वप्रेरणा से इस विषय पर अध्ययन को हाथ में लिया। आयोग ने विद्यमान विधानों की और साथ ही इस विषय पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कई निर्णयों की परीक्षा की और उसका यह विचार है कि “असुधार्य विवाह भंग” को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के उपबंधों के अधीन विवाह-विच्छेद मंजूर करने के लिए एक और आधार के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए। न्यायालय को इस आधार पर कि विवाह असुधार्य रूप से भंग हो गया है, विवाह-विच्छेद के लिए डिक्री मंजूर करने के पूर्व यह भी परीक्षा करनी चाहिए कि क्या पक्षकारों और बालकों के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रबंध किए गए हैं।

आयोग ने तदनुसार इस रिपोर्ट में अपनी सिफारिशें की हैं।

सादर

भवदीय,

८०

(डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मण)

डा. एच. आर. भारद्वाज,
केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री,
भारत सरकार,
विधि और न्याय मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली - 110001

असुधार्य विवाह भंग - विवाह-विच्छेद के लिए एक और आधार

विषय-वस्तु

अध्याय

पृष्ठ सं.

अध्याय - I :	प्रस्तावना	9-11
अध्याय - II :	न्यायिक दृष्टिकोण/सुझाव	12-23
अध्याय - III :	सिफारिश	24

1. प्रस्तावना

1.1 जब कभी विवाह-विच्छेद के लिए आधार के रूप में असुधार्य विवाह भंग को सम्मिलित करने का प्रश्न विवाद के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो विरोधी यह बहस करते हैं कि 1976 में हिंदू विवाह अधिनियम में पुराःरथापित 'पारस्परिक सहमति द्वारा विवाह-विच्छेद' इस स्थिति को अधिकांशतः समाविष्ट कर लेता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि "पारस्परिक सहमति" दोनों पक्षकारों की सहमति की अपेक्षा करती है और यदि उसमें एक या दूसरा सहयोग नहीं करता है तो उक्त आधार उपलब्ध नहीं है। दूसरी तरफ 'असुधार्य विवाह भंग' ऐसा एक आधार है जिसकी न्यायालय परीक्षा कर सकता है और यदि वह न्यायालय, मामले के तथ्यों पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विवाह में सुधार नहीं किया जा सकता है/ उसे नहीं बचाया जा सकता है, तो विवाह-विच्छेद को मंजूरी दी जा सकती है। विवाह-विच्छेद की मंजूरी पक्षकारों की इच्छा-शक्ति पर निर्भर नहीं है किंतु वह न्यायालय द्वारा, उसके समक्ष अभिवचन किए गए उन तथ्यों पर कि विवाह असुधार्य रूप से भंग हो गया है, उस निष्कर्ष पर पहुंचने पर निर्भर करती है।

1.2 **असुधार्य विवाह भंग** - ठोस विवाह का आधार सहनशीलता, सामंजस्य और एक दूसरे का आदर करना है। एक दूसरे की त्रुटि के प्रति एक निश्चित सहनीय सीमा तक सहनशीलता, प्रत्येक विवाह में अंतर्निहित होती है। छोटे मोटे बतंगङों, तुच्छ से मतभेदों को, उसको जिसको खर्ग में बनाया गया कहा जाता है, नष्ट करने के लिए अतिरंजित और आवर्धित नहीं किया जाना चाहिए। सभी झगड़ों पर उसी दृष्टिकोण से यह अवधारण करने में कि प्रत्येक विशिष्ट मामले में क्या क्रूरता का गठन करता है और सदैव पक्षकारों की शारीरिक और मानसिक दशाओं, उनके चरित्र और सामाजिक प्रास्थिति को ध्यान में रखते हुए, विचार किया जाना चाहिए। बहुत अधिक तकनीकी और अतिसंवेदनशील पहुंच विवाह की संरक्षा के लिए हानिकर होगी। न्यायालयों को आदर्श पतियों और आदर्श पत्नियों के विषय में कार्रवाई

नहीं करनी होती है। उसे उसके समक्ष आने वाले विशिष्ट पुरुष और स्त्री के विषय में कार्रवाई करनी होती है।¹

1.3 नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली² में उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ से विवाह-विच्छेद के लिए आधार के रूप में असुधार्य विवाह भंग को सम्मिलित करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में संशोधन लाने के लिए गंभीर रूप से विचार करने के लिए निम्नलिखित शब्दों में सिफारिश की है :

“इस मामले को समाप्त करने के पूर्व, तथ्यों की संपूर्णता पर विचार किए जाने के पश्चात्, यह न्यायालय भारत संघ से यह सिफारिश करना चाहेगा कि वह विवाह-विच्छेद की मंजूरी के लिए आधार के रूप में असुधार्य विवाह भंग को सम्मिलित करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में कोई सुधार लाने के लिए गंभीरतापूर्वक विचार करे। इस निर्णय की एक प्रति सचिव, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, भारत सरकार को समुचित कदम उठाने के लिए भेजी जाए।”³

1.4 पहले सुश्री जोर्डन डिंगडे बनाम एस. एस. चोपड़ा⁴ में उच्चतम न्यायालय ने कहा था :

“यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सभी मामलों में विवाह-विच्छेद के आधारों के रूप में असुधार्य विवाह भंग और पारस्परिक सहमति को प्रारंभ किया जाए हम सुझाव देते हैं कि उन मामलों में विधानमंडल के हस्तक्षेप करने का समय आ गया है जिससे कि विवाह और विवाह-विच्छेद की एक रूप संहिता के लिए उपबंध किया जाए और उस असुखद स्थिति से जिसमें वर्तमान के समान पति-पत्नी के जोड़े

¹ हिंदू विधि और प्रथा पर मैने की पुस्तक (16वां संस्करण), न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा द्वारा पुनरीक्षित (नई दिल्ली भारत ला हाउस, 2008), पृष्ठ 292.

² ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 1675.

³ पूर्वोक्त ।, पैरा 96.

⁴ ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 935.

अपने आप को पाते हैं, बाहर निकालने के लिए विधि द्वारा उपबंध किया जाए ।⁵

1.5 इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत का विधि आयोग पहले ही विवाह-विच्छेद के आधार के रूप में असुधार्य विवाह भंग पर एक बहुत व्यापक 71वीं रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका है । यह विषय भारत सरकार द्वारा किए गए एक निर्देश के परिणामस्वरूप आयोग द्वारा उठाया गया था । विधि आयोग ने श्री न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना की अध्यक्षता में 7 अप्रैल, 1978 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । इस रिपोर्ट में सुझाव पर विचार किया गया था और उसका विस्तृत रूप से विश्लेषण किया गया था । इस सुझाव पर कि असुधार्य विवाह भंग को विवाह विच्छेद के लिए आधार बनाया जाए, आगे कार्रवाई किए जाने के पूर्व, विधि आयोग ने यह समुचित समझा कि एक संक्षिप्त प्रश्नावली जारी करके इस विषय पर विचार आमंत्रित किए जाएं । आयोग ने अपनी 71वीं रिपोर्ट में सिद्धांततः विवाह-विच्छेद के आधार के रूप में असुधार्य विवाह भंग को स्वीकार किया है और इस प्रश्न की भी परीक्षा की है कि कैसे इसको ठीक रूप से अधिनियम में सम्मिलित किया जाए और इस प्रश्न की भी आगे परीक्षा की है कि क्या ऐसे आधार का आरंभ किया जाना किसी रक्षोपाय के साथ होना चाहिए । आयोग ने उक्त रिपोर्ट के अध्याय-II में हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन वर्तमान विधि, अध्याय-IV में असुधार्य विवाह भंग के सिद्धांत के गुणों और अवगुणों और अध्याय-V में विवाह-विच्छेद के अन्य आधारों को प्रतिधारित किए जाने पर भी विचार किया है । अध्याय-VI में आयोग ने अलग रहने की अपेक्षा पर भी विचार किया है और बहुत से रक्षोपायों जैसे बालकों का कल्याण, कठिनाई का भी सुझाव दिया है तथा धारा 21क, 23(1)(क) में संशोधनों की सिफारिश की है और नई धाराओं 13ग, 13घ और 13छ को अंतःस्थापित करने की भी सिफारिश की है ।

1.6 उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए विधि आयोग ने स्वप्रेरणा से इस विषय पर अध्ययन को हाथ में लिया है ।

⁵ पूर्वोक्त „, पैरा 7.

II. न्यायिक दृष्टिकोण/सुझाव

2.1 त्रुटि पर मुख्य रूप से आधारित विवाह-विच्छेद की विधि भंग विवाह के संबंध में कार्रवाई करने के लिए अपर्याप्त है। त्रुटि के सिद्धांत के अधीन, दोष को साबित किया जाना होता है; विवाह-विच्छेद संबंधी न्यायालयों के समक्ष मानव व्यवहार के ठोस उदाहरण, जो विवाह की संरक्षा को बदनाम करते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं⁶ एक बार यदि विवाह सुधार से परे भंग हो गया है तो विधि के लिए यह अवास्तविक होगा कि वह उस तथ्य की ओर ध्यान न दे और यह समाज के लिए हानिकर और पक्षकारों के हित को चोट पहुंचाने वाला होगा। वहाँ जहाँ लगातार पृथक्करण की अवधि लंबी रही है यह उचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि विवाह संबंधी बंधन सुधार से परे पहुंच गया है। ऐसे में विवाह काल्पनिक हो जाता है, यद्यपि वह विधिक बंधन द्वारा समर्थित होता है, और उस बंधन को काटने से इनकार करके विधि ऐसे मामलों में विवाह की पवित्रता की पूर्ति नहीं करती है; इसके विपरीत वह पक्षकारों की भावनाओं और मनोवेगों के लिए कम आदर दर्शित करती है। लोक हित केवल यह मांग नहीं करता कि विवाहित स्थिति, जहाँ तक संभव हो, और जब कभी संभव हो, बनाए रखी जानी चाहिए, किंतु जहाँ विवाह का उद्धार की आशा से परे विनाश हो गया है, वहाँ लोकहित उस तथ्य को मान्यता देने में होता है। चूंकि ऐसा कोई स्वीकार्य मार्ग नहीं है जिसमें पति या पत्नी को साथी के साथ जीवन पुनः शुरू करने के लिए विवश किया जाए, अतः पक्षकारों को ऐसे विवाह के साथ, जो वास्तव में विद्यमान नहीं रहा है, हमेशा के लिए बाधे रखने का प्रयास करके कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। मानव जीवन अल्पकालिक है और दुख कारित करने वाली स्थितियों को अनिश्चित रूप से बने रहने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती। किसी प्रक्रम पर तो विराम लगाया जाना होता है। विधि ऐसी स्थितियों के प्रति अनभिज्ञ नहीं रह सकती, और न वह उससे उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं के प्रति पर्याप्त उत्तर देने से इनकार कर सकती है।⁷ नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली⁸ में उच्चतम

⁶ भारत के विधि आयोग की 71वीं रिपोर्ट।

⁷ ऊपर टिप्पण 1, पृष्ठ 292 - 293.

न्यायालय ने भारत संघ से विवाह-विच्छेद के लिए आधार के रूप में असुधार्य विवाह भंग को सम्मिलित करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में कोई संशोधन लाने पर गंभीर रूप से विचार करने के लिए सिफारिश की थी ।

2.2 असुधार्य विवाह भंग स्वयं में विवाह-विच्छेद के लिए कोई आधार नहीं है । किंतु यह अवधारित करने के लिए कि क्या वे आधार, जिन पर विवाह-विच्छेद चाहा गया है, बनते हैं, अभिलेख पर साक्ष्य की संवीक्षा करते समय परिस्थितियों को ध्यान में रखा जा सकता है । कोई विवाह-विच्छेद असुधार्य विवाह भंग के आधार पर मंजूर नहीं किया जा सकता यदि इस आधार पर विवाह-विच्छेद चाहने वाले पक्षकार ने स्वयं त्रुटि की हो । विवाह-विच्छेद की डिक्री इस आधार पर कि विवाह असुधार्य रूप से भंग हो गया है, उन मामलों में मंजूर की जा सकती है जहां दोनों पक्षकारों ने एक दूसरे के विरुद्ध ऐसे अभिकथन किए हैं कि विवाह व्यवहार्य रूप से मृत प्रतीत होता है और पक्षकार एक साथ नहीं रह सकते हैं । असुधार्य विवाह भंग के आधार पर विवाह-विच्छेद मंजूर करने के लिए न्यायालय की शक्ति का प्रयोग दोनों पक्षकारों के हित में केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में बहुत अधिक ध्यान से और सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए ।⁸

2.3 गीता मल्लिक बनाम ब्रोजो गोपाल मल्लिक¹⁰ में कोलकाता उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था :

“हमारी सुविचारित राय में पक्षकारों के बीच विवाह विचारण न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा भी, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1) के अधीन अनुध्यात रूप में एक या अधिक आधारों की अनुपस्थिति में केवल इस आधार पर विघटित नहीं किया जा सकता है कि वह असुधार्य रूप से भंग

⁸ ऊपर टिप्पण -2.

⁹ ऊपर टिप्पण 1, पृष्ठ 293.

¹⁰ ए. आई. आर. 2003 कोलकाता 321.

हो गया है ।”¹¹

2.4 असुधार्य विवाह भंग की संकल्पना का विवाह-विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने के लिए उस दशा में, जहां विवाह-विच्छेद के लिए आधार साबित नहीं किए जाते हैं, जादुई सूत्र के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है ।

2.5 वी. भगत बनाम डी. भगत¹² में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

“असुधार्य विवाह भंग स्वयं विवाह-विच्छेद के लिए कोई आधार नहीं है किंतु यह अवधारण करने के लिए कि क्या अभिकथित आधार बनते हैं, और मंजूर किए जाने वाले अनुतोष का अवधारण करने के लिए अभिलेख पर साक्ष्य की संवीक्षा करते समय उक्त परिस्थितियों को निश्चित रूप से ध्यान में रखा जा सकता है ।¹³

2.6 कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तपन कुमार चक्रबर्ती बनाम ज्योत्सना चक्रबर्ती¹⁴ में अभिनिर्धारित किया था कि हिंदू विवाह अधिनियम या विशेष विवाह अधिनियम में वर्णित रूप में किसी आधार पर विवाह-विच्छेद के लिए किसी याचिका में न्यायालय केवल असुधार्य विवाह भंग के आधार पर विवाह-विच्छेद मंजूर नहीं कर सकता है ।

2.7 तथापि कंचन देवी बनाम प्रमोद कुमार मित्तल¹⁵ में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि :

“.....अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच विवाह असुधार्य रूप से भंग हो गया है और यह कि सुलह की कोई संभावना नहीं है, अतः हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में निदेश देते हैं कि

¹¹ पूर्वोक्त., पैरा 7.

¹² ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 710.

¹³ पूर्वोक्त., पैरा 23.

¹⁴ ए. आई. आर. 1997 कलकत्ता 134.

¹⁵ ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 3192.

अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा विघटित हो जाएगा।¹⁶

2.8 दो व्यक्तियों को वैवाहिक संबंध द्वारा बांधे रखने का, जब वे शांतिपूर्वक न रह सकते हों तो, कोई उपयोग नहीं है। जहां विवाह गतिरोध हो गया है क्योंकि पक्षकार पृथक रूप से रह रहे हैं और विवाह के पश्चात् पत्नी वैवाहिक घर में केवल कुछ माह के लिए रही है तथा पत्नी ने पति के विरुद्ध क्रूरता और अभित्यजन के अभिकथन किए हैं और पति ने उसके विरुद्ध प्रति-कथन किए हैं, वहां, न्यायालय ने कृष्णा बनाम सोमनाथ¹⁷ में अभिनिर्धारित किया कि विवाह असुधार्य रूप से भंग हो गया है और यह न्याय के हित में है कि विवाह-विच्छेद की डिक्री मंजूर की जाए, जिससे कि दोनों पक्षकार शांतिपूर्वक रह सकें। जब न्यायालय तथ्यों से और साथ ही पक्षकारों के बीच फिर से बसाए जाने की या सुलह की बातों से यह पाता है कि पति और पत्नी के बीच पुनः मिलन की कोई संभावना नहीं है और विवाह-विच्छेद की डिक्री का नामंजूर किया जाना पति और पत्नी की पीड़ाओं को केवल लंबा करेगा तो वह इस आधार पर विवाह विघटित कर सकता है।¹⁸ जहां पति और पत्नी पिछले 19 वर्षों से एक दूसरे से पृथक रह रहे हैं और पक्षकारों के बीच समझौते का कोई अवसर नहीं है तो विवाह-विच्छेद के लिए डिक्री मंजूर की जा सकती है।¹⁹ उस दशा में जहां कोई विवाहोत्तर संभोग नहीं हुआ था, पत्नी सहवास के विरुद्ध थी, पत्नी ने यह साबित करने के लिए कि विवाह का संभोग नहीं किया गया था, चिकित्सीय परीक्षा कराने के लिए न्यायालय के अनुदेशों की अवज्ञा की थी, पत्नी का उसके ससुराल वालों के प्रति उसके मानसिक असंतुलन को दर्शित करने वाला अशिष्ट व्यवहार था और पक्षकार सुलह के लिए किसी गंभीर प्रयास के बिना 16 वर्ष की अवधि से पृथक रहे थे, वहां

¹⁶ पूर्वोक्त, पैरा 6.

¹⁷ (1996) डी. एम. सी. 667 (पी एंड एच).

¹⁸ अशोक ब. रूपा, 1996(2) एच. एल. आर. 512 (गुजरात).

¹⁹ शंकर ब. पुष्पिता, ए. आर्द्द. आर. 2005 झारखंड 92.

विवाह विघटित करने वाली डिक्री उचित होगी 20

2.9 उच्चतम न्यायालय ने सावित्री पांडे बनाम प्रेम चंद्र पांडे²¹ में अभिनिर्धारित किया कि पक्षकारों के बीच विवाह पक्षकारों में से किसी एक के द्वारा किए गए केवल इस प्रकथन पर विघटित नहीं किया जा सकता है कि चूंकि विवाह उनके बीच भंग हो गया है, अतः उसको जीवित रखके किसी उपयोगी प्रयोजन की पूर्ति नहीं की जा सकती है। विधानमंडल ने अपनी बुद्धि से, उच्चतम न्यायालय के संप्रेक्षण के बावजूद ऐसे प्रकथनों पर विवाह के विघटन के लिए उपबंध करना उचित नहीं समझा है। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां यह पाया जाए कि चूंकि विवाह ऐसे अभिदायी कार्यों के कारण, जिन्हें पक्षकारों ने किया है या करने से लोप किया है, मृत हो गया है, अतः ऐसे विवाह को जीवित रखके किसी उपयोगी प्रयोजन की पूर्ति नहीं होगी। विवाह की पवित्रता पति-पत्नी में से क्रोध उत्पन्न करने वाले किसी एक पक्षकार की सनक पर नहीं छोड़ी जा सकती है।

2.10 विनिता सक्सेना बनाम पंकज पंडित²² में विनिता सक्सेना और उसके पति पंकज पंडित के बीच विवाह उच्चतम न्यायालय के एक आदेश द्वारा विघटित किया गया था। पक्षकारों के बीच विवाह केवल पांच माह तक रहा। उनमें से दोनों 13 वर्षों से पृथक रह रहे थे। विवाहोत्तर संभोग भी नहीं किया गया था। पत्नी ने पति की ओर से शारीरिक और मानसिक क्रूरता और पागलपन के आधार पर विवाह विघटन के लिए याचिका फाइल की थी। तथापि विचारण न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने भी पति के न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असफलता के बावजूद अपील खारिज कर दी। पत्नी की अपील मंजूर करते हुए उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन् (जैसे वह उस समय थे) के माध्यम से बोलते हुए अभिनिर्धारित किया कि निचले न्यायालयों के आदेशों का परिणाम पत्नी के लिए घोर अन्याय के रूप में हुआ था, जिसे

²⁰ रीता ब. त्रिलोकेश, ए. आई. आर. 2007 गुजरात 122.

²¹ ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 591.

13 वर्षों तक एक मृत संबंध के साथ रहने के लिए मजबूर किया गया था और यह कि तथ्य स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शित करती थी कि पति और पत्नी कभी भी पति और पत्नी के रूप में नहीं रह सकते थे और पत्नी का प्रत्यर्थी पति के साथ रहना उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकर होगा । तदनुसार विवाह-विच्छेद की डिक्री पति के विरुद्ध पत्नी के पक्ष में मंजूर की गई थी । न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया :

“36. इस बारे में कि उक्त उपबंध के प्रयोजनों के लिए क्या अपेक्षित मानसिक क्रूरता का गठन करता है, वह ऐसी घटनाओं की संख्यात्मक गिनती पर या ऐसे आचरण के लगातार अनुक्रम पर निर्भर नहीं करेगा किंतु वास्तव में वह उसकी गहनता, गंभीरता और उसके क्षति विवृति संबंधी प्रभाव पर, जब उसे एक बार भी अनुभव किया गया हो, और सहायक वैवाहिक गृह बनाए रखने के लिए आवश्यक मानसिक अभिवृत्ति पर उसके हानिकर प्रभाव से संचालित होगा ।

37. यदि ताने, शिकायतें और भर्त्सनाएं केवल साधारण प्रकृति की हैं तो न्यायालय को कदाचित आगे इस बारे में प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता होती है कि क्या लंबी अवधि के लिए उनका लगातार बना रहना या स्थिर रहना ऐसा होगा जो सामान्यतः अन्यथा ऐसा गंभीर कार्य नहीं होता, जो इतना हानिकर और कष्टकर होता कि उससे भारित पति या पत्नी को वास्तविक रूप से और युक्तियुक्त रूप से यह निष्कर्ष निकालना पड़ता कि वैवाहिक गृह का बनाए रखना अब और संभव नहीं है ।

.....

44. पति और पत्नी के एक दूसरे के प्रति अधिकार और कर्तव्य होते हैं और उन्हें अपने संबंधों में युक्तियुक्त रूप से कार्य करना चाहिए । प्रत्येक मामले में जहाँ

²² जे. टी 2006 (3) एस. सी. 587.

क्रूरता विद्यमान होती है यह कहना संभव है कि त्रुटि करने वाला पति या करने वाली पत्नी अयुक्तियुक्त है। अतः क्रूरता की सूची युक्तियुक्त रूप से कार्य करने के कर्तव्य तक पहुंचनी चाहिए, चाहे वह स्वास्थ्य के लिए हानि कारित करने वाले कार्य के लोप में हो या कार्य करने में। ऐसी सूची, वहां आशय निकालने से बचती है जहां वास्तव में कोई आशय विद्यमान ही न हो। आगे ऐसे सभी विषय दूरदृष्टि के हैं, इनके लिए इच्छाएं, आकांक्षाएं, आशय, हेतुक, बोध, मूढ़ता, दुराग्रह और मतभेद सुसंगत रहेंगे किंतु केवल ऐसे साक्ष्य के विषय के रूप में जो युक्तियुक्त रूप से कार्य करने के लिए अपेक्षा पर प्रभाव रखता हो या आरोपित मामलों की अभिवृद्धि के रूप में हो।

.....

49. मानवीय पहलू जिन पर इस न्यायालय को विचार करना चाहिए :

- अपीलार्थी 24 वर्ष की आयु की थी जब उसका विवाह हुआ।
- विवाह केवल चार या पांच माह तक रहा जब उसे वैवाहिक घर छोड़ने के लिए विवश कर दिया गया था।
- पक्षकारों के बीच विवाहोत्तर संभोग नहीं किया गया था क्योंकि प्रत्यर्थी वैवाहिक बाध्यता पूरी करने की स्थिति में नहीं था।
- पक्षकार 1993 से पृथक् रूप से रह रहे हैं। 13 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, उन्होंने कभी एक दूसरे को देखा नहीं है।
- दोनों पक्षकारों ने वापस न लौटने की स्थिति पार कर दी है।
- कार्यकरणीय हल निश्चित रूप से संभव नहीं है।
- इस प्रक्रम पर पक्षकार स्वयं सुलह नहीं कर सकते हैं और अपने-अपने

भूतकाल को दुःखज के रूप में भूलते हुए साथ नहीं रह सकते हैं।

- पक्षकार वर्ष 1994 से विधिक लड़ाई लड़ रहे हैं।
- पक्षकारों के बीच स्थिति ऐसे अखंडनीय निष्कर्ष का मार्ग दर्शित करेगी कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी कभी पति और पत्नी के रूप में नहीं रह सकते हैं और पत्नी का प्रत्यर्थी के साथ रहना उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकर है।
- अपीलार्थी ने अपनी पीएच.डी. कर ली है। प्रत्यर्थी, अपीलार्थी के अनुसार कहीं भी लाभपूर्ण स्थिति में नियोजित नहीं है।
- तथ्यतः प्रत्यर्थी, विचारण के दौरान अपने बयान को अपूर्ण छोड़ने के पश्चात् आज की तारीख तक न तो विचारण न्यायालय के समक्ष और न उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है।

50. मामले के तथ्य और परिस्थितियां और साथ ही मानवता और जीवन से संबंधित सभी पहलू हमको अपील मंजूर करने के लिए और अपीलार्थी को प्रत्यर्थी की हथकड़ियों और जंजीरों से मुक्त करने के लिए और उसको अपना जीवन जीने देने के लिए, यदि उससे कम नहीं तो मानव के समान रहने देने के लिए पर्याप्त निश्चायक कारण देंगे।

2.11 समर घोष बनाम जया घोष²³ में उच्चतम न्यायालय ने “असुधार्य विवाह भंग” पर भारत के विधि आयोग की 71वीं रिपोर्ट के प्रति अनुमोदन से निम्नलिखित रूप में निर्देश किया था :

“90. हमने विभिन्न देशों के मामलों की परीक्षा की है और उनको निर्दिष्ट किया है। हम वैवाहिक मामलों में मानसिक क्रूरता से संबंधित मामलों के न्याय निर्णयन

²³ (2007) 4 एस. सी. सी. 511.

में गंभीर आधारिक समानता पाते हैं। अब हम यह समुचित समझते हैं कि 'असुधार्य विवाह भंग' पर भारत के विधि आयोग की 71वीं रिपोर्ट के बारे में चर्चा की जाए।"

91. भारत के विधि आयोग की 71वीं रिपोर्ट में असुधार्य विवाह भंग की संकल्पना के बारे में संक्षेप में चर्चा की गई है। यह रिपोर्ट सरकार को 7 अप्रैल, 1978 को प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट में, यह वर्णित किया गया है कि पिछले 20वर्षों या ऐसे ही के दौरान, और अब ये लगभग 50 वर्ष हो गए होंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ने वकीलों, सामाजिक वैज्ञानिकों और कामकाज के व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित किया है कि क्या विवाह-विच्छेद की मंजूरी पक्षकार की त्रुटि पर आधारित होनी चाहिए, या वह विवाह के भंग पर आधारित होनी चाहिए? पूर्ववर्ती को वैवाहिक अपराध सिद्धांत या त्रुटि सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। पश्चात्‌वर्ती को विवाह भंग सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। उक्त रिपोर्ट की सिफारिश को यहां संक्षेप में दुहराना सुसंगत होगा।

92. रिपोर्ट में यह वर्णित किया गया है कि विवाह भंग के सिद्धांत का बीज जहां तक राष्ट्रमंडलीय देशों का संबंध है, बहुत पहले की अवधि के दौरान विधायी और न्यायिक विकासों में पाया जा सकता है। (न्यूजीलैंड) डाइवोर्स एंड मेट्रिमोनियल कॉर्जेज एमेंडमेंट ऐक्ट, 1920 ने प्रथम बार इस उपबंध को सम्मिलित किया था कि तीन वर्ष या उससे अधिक के लिए कोई पृथकता करार विवाह-विच्छेद के लिए न्यायालय में याचिका फाइल करने के लिए आधार था और न्यायालय को (बिना मार्ग-निर्देशक तत्वों के) विवेकाधिकार दिया गया था कि वह विवाह-विच्छेद मंजूर करे या नहीं। इस कानून द्वारा प्रदत्त विवेकाधिकार का प्रयोग लोडर बनाम लोडर (1921 न्यूजीलैंड ला रिपोर्ट 786) वाले मामले में किया गया था। न्यायमूर्ति सालमंड ने एक पैरा में, जो अब आदर्श हो गया है, इन शब्दों में विवाह भंग के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था:

'विधानमंडल को, मैं समझता हूं, इस रूप में लिया जाना चाहिए कि उसका आशय यह था कि तीन वर्ष के लिए पृथक्करण को इस न्यायालय द्वारा प्रथमदृष्टया विवाह-विच्छेद के लिए अच्छे आधार के रूप में स्वीकार किया जाना है। जब वैवाहिक संबंध उतनी अवधि के लिए वास्तव में विद्यमान नहीं रह गया है तो उसे, जब तक कि उसके विरुद्ध विशेष कारण न हों न्यायिक रूप से भी विद्यमान नहीं रहना चाहिए। साधारणतया यह पक्षकारों के हित में नहीं है या जनता के हित में नहीं है कि किसी पुरुष और स्त्री को विधि में पति और पत्नी के रूप में एक साथ बंधे रहना चाहिए जब एक लंबी अवधि के लिए वे वास्तव में ऐसे नहीं रह गए हैं। ऐसे पृथक्करण की दशा में विवाह का आवश्यक प्रयोजन विफल हो जाता है और उसका आगे बना रहना साधारणतया केवल उपयोगहीन ही नहीं किंतु शरारतपूर्ण हो जाता है।

93. उक्त रिपोर्ट में, यह वर्णित किया गया है कि किसी विशिष्ट अपराध या वैवाहिक निर्योग्यता तक विवाह-विच्छेद के आधार को निर्बंधित करना उन सामलों में अन्याय कारित करता है जहां स्थिति ऐसी है कि यद्यपि पक्षकारों में से किसी की कोई त्रुटि नहीं है या त्रुटि ऐसी प्रकृति की है कि विवाह के पक्षकार उसे प्रकट नहीं करना चाहते हैं तथापि स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि जिसमें वह विवाह उत्तरजीवी नहीं रह सकता है। विवाह, विवाह की सभी बाह्य आकृतियाँ रखता है किंतु वास्तविकता में कुछ नहीं है। जैसाकि बहुधा बलपूर्वक कहा जाता है विवाह केवल एक खोल है जिसका सार चला गया है। ऐसी परिस्थितियों में यह कहा जाता है कि उस विवाह को मुखौटे के रूप में बनाए रखने की कठिनता से ही कोई उपयोगिता है जब भावनात्मक और अन्य बंधन, जो विवाह के अनिवार्य तत्व हैं, अदृश्य हो गए हैं।

94. रिपोर्ट में यह भी वर्णित किया गया है कि यदि विवाह सारतः विद्यमान नहीं रह गया है और वास्तव में विवाह-विच्छेद से इनकार करने के लिए कोई कारण नहीं है, तो केवल पक्षकार यह विनिश्चय कर सकते हैं कि क्या उनका पारस्परिक संबंध उसकी पूर्ति करता है जो वे चाहते हैं। विवाह-विच्छेद को हलके रूप में और किसी कठिन स्थिति से बच निकलने के मार्ग के रूप में देखा जाना चाहिए। ऐसा विवाह-विच्छेद गतकाल की गलतियों से असंबद्ध होता है किंतु पक्षकारों और बालकों को, उस अत्यधिक समाधानप्रद आधार को कार्यान्वित करके, जिस पर वे परिवर्तित परिस्थितियों में अपने संबंध को विनियमित कर सकते हैं, नई स्थिति और विकासों के अनुरूप बनाने से संबंधित होता है।

95. एक बार पक्षकार पृथक हो गए हैं और पृथककरण समय की पर्याप्त अवधि के लिए बना रहा है और उनमें से एक ने विवाह विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत की है तो यह ठीक से उपधारणा की जा सकती है कि विवाह भंग हो गया है। न्यायालय को, निःसंदेह, पक्षकारों में सुलह कराने के लिए गंभीर रूप से कोई प्रयास करना चाहिए; फिर भी यदि यह पाया जाता है कि विवाह भंग असुधार्य है तो विवाह-विच्छेद को रोका नहीं जाना चाहिए। ऐसे अकार्यकरणीय विवाह को, जो लंबे समय से प्रभावी नहीं रहा है, विधि में परिरक्षित रखने के परिणाम पक्षकारों के लिए दुख का स्रोत होना अवश्यभावी है।"

2.12 समान रूप से संघमित्रा घोष बनाम काजल कुमार घोष²⁴ में उच्चतम न्यायालय ने अशोक हुरा बनाम रूपा बिपिन जावेरी²⁵ में अपने पूर्ववर्ती विनिश्चय के प्रति निर्देश करते हुए विधि आयोग की पूर्वोक्त 71 वीं रिपोर्ट से कुछ उद्धरण भी पुनः प्रस्तुत किए।

²⁴ (2007) 2 एस. सी. सी. 220.

²⁵ (1997) 4 एस. सी. सी. 226.

2.13 जैसा पहले कहा गया है नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली²⁶ के मामले में उच्चतम न्यायालय का हाल का विनिश्चय विवाह -विच्छेद की मंजूरी के लिए आधार के रूप में “असुधार्य विवाह भंग” को सम्मिलित करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम के तुरंत संशोधन के लिए आवश्यकता को पूर्ण रूप से स्थापित करता है। न्यायालय उस मामले में कार्रवाई ऐसे मामले के बारे में कर रहा था जहां पक्षकार 10 वर्षों से पृथक रूप से रह रहे थे। इस अवधि के दोरान पक्षकारों के बीच बहुत सी कार्यवाहियां, अधिकांश पत्नी द्वारा, की गई थीं। दुराचरण के अभिकथन दोनों तरफ से किए गए थे। भरण-पोषण के लिए मांग की गई थी और उसके लिए संदाय किया गया था तथा कार्यवाहियां दोनों पक्षकारों के लिए गहरी चिंता और निराशा कारित करते हुए विलंबित रही। पति ने उपलब्ध आधार - क्रूरता पर - विवाह-विच्छेद के लिए फाइल किया था। विचारण न्यायालय ने उसे अनुतोष प्रदान किया किंतु उच्च न्यायालय ने इस आधार पर विवाह-विच्छेद याचिका को उलट दिया कि पत्नी का आचरण विभिन्न निर्णयों में परिभाषित रूप में ‘क्रूरता’ के मानकों के अंतर्गत नहीं आता था। पति वापस लौट गया। अपील पर उच्चतम न्यायालय ने उसे अनुतोष प्रदान किया। यह मामला पति को तंग करने के लिए साथी (पत्नी) द्वारा सहमति रोकने का उत्कृष्ट मामला था। न्यायाल ने भारत संघ से विवाह-विच्छेद की मंजूरी के लिए आधार के रूप में “असुधार्य विवाह भंग” को सम्मिलित करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में संशोधन लाने के लिए गंभीर रूप से विचार करने के लिए सिफारिश की।

2.14 यह भी उचित होगा कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 पर, जो सिविल विवाहों के बारे में है, समान आधारों पर संशोधन करने के लिए विचार किया जाए।

²⁶ ऊपर टिप्पण 2.

III. सिफारिश

- 3.1 अतः यह सुझाव दिया जाता है कि विवाह-विच्छेद की मंजूरी के लिए एक और आधार के रूप में “असुधार्य विवाह भंग” को सम्मिलित करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में संशोधन का प्रस्ताव करने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए।
- 3.2 संशोधन में यह भी उपबंध किया जा सकता है कि न्यायालय को इस आधार पर कि विवाह असुधार्य रूप से भंग हो गया है, विवाह-विच्छेद के लिए डिक्री मंजूरी करने के पूर्व इस बात की भी परीक्षा करनी चाहिए कि क्या पक्षकारों और बच्चों के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रबंध कर दिए गए हैं।
- 3.3 हम तदनुसार सिफारिश करते हैं।

४०

(डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मण)

अध्यक्ष

४०

(डा. बहम ए. अग्रवाल)

सदस्य-सचिव

४०
(प्रा. (डा) ताहिर महमूद)

सदस्य